

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/208351/JHS/JHANSI/1530/CFO

दिनांक : 12-07-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **K. S. ACADEMY** पता **499-2, 500, VILLAGE JHAKRI SWARGESHWAR MANDIR ROAD, MAURANIPUR** तहसील - **MAURANIPUR** प्लॉट एरिया **9350 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4006** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
K S ACADEMY	3	0	11.25 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **K. S. ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **14-07-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJEEV KUMAR CHAUHAN** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15-07-2026** से **14-07-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **K. S. ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **K. S. ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : यह N.O.C., K S ACADEMY स्कूल भवन हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है।

1. अग्नि एवं जीव रक्षा संबंधी समस्त उपकरणों को सदैव कार्यशील एवं मानकानुसार मय प्रशिक्षित कर्मियों के उपलब्ध रखा जाय, जिनकी कार्यशीलता की सूचना प्रत्येक 6 माह में फायर सर्विस झांसी को देनी होगी।
 2. दोनों सीढ़ियों को हमेशा अवरोध मुक्त एवं मानकानुसार उपलब्ध रखा जाना अनिवार्य होगा।
- यदि स्कूल स्वामी/प्रबंधन द्वारा भवन की संरचना/उसके उपभोग में परिवर्तन किया जाता है अथवा उपरोक्त शर्तों/स्थानीय प्राधिकरणक के किसी भी मानक का उल्लंघन किया जाता है, तो निर्गत NOC स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Raj Kishor Rai

AEA95FF1DB178704748CAC7A8CF6237CFA6C9054

15-07-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 15-07-2026

स्थान : JHANSI

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.